"डाक [illegible] के अन्तर्गत डाक [illegible] प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक [illegible] छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/[illegible] 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2008—माघ 8, शक 1929

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-49/2006/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (1), सहपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगमों के अधिकारियों तथा सेवकों के गठन (सेटअप), संख्या, भर्ती, नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 कहलायेंगे ।

   (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) ;

2- Cadre

(2)

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक (एक) के अधीन आदेश द्वारा यथास्थिति, विनिर्दिष्ट मेयर–इन–कौंसिल अथवा आयुक्त;

(ग) "निगम" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित कोई निगम;

(घ) "मेयर–इन–कौंसिल" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 37 के अधीन गठित मेयर–इन–कौंसिल" तथा अधिनियम की धारा 423 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त नगर का प्रशासन सम्मिलित है;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956) की धारा;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "समिति" से अभिप्रेत है, अभ्यर्थियों के चयन के लिये महापौर–परिषद द्वारा, गठित समिति,

(ज) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(झ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ठ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ड) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5 पच्चीस–4–84 दिनांक 26.12.1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(ण) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में उनके लिये नियत है।

3\. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :– (1) सेवा में सम्मिलित पद ऐसे होंगे, जो अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किये गये है।

(2) सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण, उनकी संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अध्याधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा।

परंतु पदों की संख्या का निर्धारण नगर पालिक निगम के परामर्श से किया जायेगा।

4. भर्ती का तरीका :— (1) सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची एक के कॉलम नंबर (3), (4) एवं (5) में अन्तर्विष्ट निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

परंतु विशेष परिस्थितियों में, नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी निगम के मामले में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अनुसूची एक की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी।

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक नगर पालिक निगम में मेयर (महापौर) के निज सचिव का एक पद होगा, जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, मेयर की सहमति से, संविदा पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा स्थानांतरण द्वारा, जैसा कि मेयर द्वारा उचित समझा जाये, नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर नियुक्ति के मामले में, मेयर (महापौर) के निज सचिव की अर्हता, कंपनी सचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या प्रबंध विशेषज्ञ के समतुल्य होगी। नगर पालिक निगम संविदा की अन्य शर्तें सरकार की पूर्व अनुमोदन से अवधारित करेगी।

5. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें:— सीधी भर्ती के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु :— सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी की न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा तथा उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण वैसा ही होगा, जैसा की राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा के लिये नियत है।

(2) शैक्षणिक अर्हताएँ :— सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुसूची—दो के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगी। अन्य अर्हताएँ वैसी ही होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, सरकारी सेवा को लागू की जाए।

(3) आरक्षण :— (क) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(ग) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम, नियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों से उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन से दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये, आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(द) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार पद आरक्षित किए जाएँगें।

(घ) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव अत्यावश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयुक्त की राय में यह पाया जाये कि ऐसी संभावना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहाँ आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

6. निरर्हताएँ — उनकी नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ निम्नलिखित होंगी :—

(क) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास।

(ख) राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय की सेवा से भविष्य में नियुक्ति से निरर्हित किया जाकर पदच्युति।

(ग) नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त किसी अपराध में दोषसिद्धि या प्रिवेन्शन आफ अनटचेबिलिटी एक्ट के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्धि।

7. अर्हता या निरर्हता के बारे में विनिश्चय :— किसी अभ्यर्थी की अर्हता या निरर्हता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया :— (1) जब सीधी भर्ती से भरा जाने वाला कोई पद रिक्त हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि रिक्त पद को निगम के हित में भरा जाना है तब आयुक्त, स्थानीय रोजगार कार्यालय को, उक्त पद के लिये विहित वेतनमान, अर्हताएँ, पात्रता तथा अन्य शर्तों के बारे में सूचित करेगा तथा पात्र अभ्यर्थियों की सूची मंगवायेगा। विहित प्रारूप में विहित समय-सीमा के भीतर आवेदन आमंत्रित करते हुए कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा रोजगार कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची को सम्मिलित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या मौखिक साक्षात्कार द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाए।

(4) अभ्यर्थियों का चयन, अनुसूची–तीन में यथा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) चयन समिति, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार या दोनों में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी तथा ऐसी सूची में रिक्त पदों की संख्या से अभ्यर्थियों की संख्या दुगुनी होगी। यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची के अनुमोदन के पश्चात् उसका प्रकाशन किया जाएगा तथा ऐसी सूची, निगम में नियुक्ति के लिये उसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी कम में करेगा, जिस कम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(8) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये किसी प्रकार से उपयुक्त है।

(8–क) सफाई कामगार (स्वीपर) के पद पर नियुक्ति हेतु वरीयता– ऐसे सफाई कर्मचारी जो अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, उनके परिवार के किसी एक सदस्य को, जो नियमानुसार सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने के लिये अन्यथा अपात्र नहीं है, को वरीयता के आधार पर सफाई कामगार के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

9. परिवीक्षा– (1) किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारणों से परिवीक्षा की कालावधि बढ़ा सकेगा, जो एक वर्ष की कुल कालावधि से अधिक नहीं होगी।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति, उसकी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय–समय पर अवधारित किया जाए।

यदि किसी भी समय परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा के अंत में यह पाया जाता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उसको दिए गए अवसर का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है या वह उस स्तर को, जिसकी उससे प्रत्याशा की जाये, प्राप्त करने में असफल रहा है या वह उसके द्वारा धारित पद के लिए अन्यथा अनुपयुक्त पाया गया है तो कोई विभागीय जाँच किये बिना उसे पदच्युत किया जा सकेगा।

) कोई व्यक्ति, जिसे परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा के अंत में सेवा से हटा दिया गया है, निगम या राज्य सरकार से किसी प्रकार के प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा।

न्नति :– (1) नियम 4 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट समिति, उन पदों पर विभागीय पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी, जैसा अनुसूची–तीन के कालम (2) में दर्शाया गया है।

2) जब पदोन्नति से भरा जाने वाला पद रिक्त हो जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में रिक्त पद को भरा जाना निगम के हित में आवश्यक हो, तब आयुक्त, अनुसूची–तीन के कालम (3) में दर्शाये अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, उनकी चरित्रावलियों, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए पुरस्कार/दण्ड के ब्यौरे तैयार करेगा तथा उसे अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

) उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों, पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, अनुसूची–तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट उन पदों पर, जिससे पदोन्नति की जाती है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूरी कर ली हो, जैसा कि अनुसूची–तीन के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने विहित किए गए वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है।

) (क) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में योग्यता–सह–ज्येष्ठता (मेरिट–कम–सीनियरिटी) तथा द्वितीय, तृतीय

एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियरिटी–सब्जेक्ट–टू फिटनेस) के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र, सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार या निमित्त समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगा।

(5) समिति, ऐसे व्यक्तियों की, जो उपनियम (3) में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति, सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझती है, सूची तैयार करेगी। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(6) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पद पर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएँगे।

(7) समिति, चयन सूची को, समिति की बैठक की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(8) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों :

परंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में किसी नाम से सहमत नहीं है तो लिखित में पर्याप्त तथा स्पष्ट कारण देने के पश्चात् ऐसा नाम सूची से हटाया जा सकेगा।

11. **ज्येष्ठता** :– निगम के अधीन किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता, पद पर उसकी लगातार सेवा की तारीख के संदर्भ में अवधारित की जाएगी परन्तु यदि किसी एक ही तारीख को दो या दो से अधिक कर्मचारी पद ग्रहण करते हैं तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता का अवधारणा, सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। ऐसा परिवीक्षाधीन कर्मचारी, जिसे परिवीक्षा कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् किसी कारण से नियमित नहीं किया जा सका हो, उसे ज्येष्ठता सूची में उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों से नीचे रखा जाएगा, जिन्हें पहले नियमित किया जा चुका है।

12. **अधिवार्षिकी आयु** :–निगम के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु नीचे दिये गये अनुसार होगी:–

(क) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 62 वर्ष (प्रस्तावित पुनरीक्षण)

(ख) शिक्षाकर्मियों के लिए 62 वर्ष

(ग) अन्य सेवकों के लिए 60 वर्ष

[से]वा की अन्य शर्तें :— (1) निगम इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह ऐसी पद्धति/प्रक्रिया विहित करे, जिसके अधीन चिकित्सा उपचार, सामान्य भविष्य निधि तथा पेंशन के संबंध में विनिश्चय किया जाना है। सेवा की अन्य शर्तें, जो इन नियमों या अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों में उपबंधित नहीं हैं, वैसी ही समझी जाएंगी, जो उसी पद पर सरकारी सेवकों को समय–समय पर लागू होती हैं।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकारी सेवकों को लागू होने वाले समय–समय पर यथासंशोधित निम्नलिखित नियम, निगम के कर्मचारियों को लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम जिल्द (वाल्यूम) एक तथा दो।

(ख) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965।

(ङ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966।

स्थानांतरण :— राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 58 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी को एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरित कर सकेगी, परन्तु ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जो किसी निगम में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यतः स्थानांतरित किया जाएगा।

निर्वचन :— इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

शिथिलीकरण :— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, परन्तु ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है।

निरसन तथा व्यावृत्ति :— नियम 13 अध्यधीन रहते हुए, इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम – 3 एवं 4 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में नियमित पद

	सेवा में सम्मिलित पदो के नाम	वेतनमान	भर्ती का तरीका (प्रतिशत में)		
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	आयुक्त	-	-	-	प्रतिनियुक्ति
	अपर आयुक्त	-	-	-	प्रतिनियुक्ति
	उपायुक्त	1000-15200	50%	50%	-
	विधि अधिकारी	8000-13500	100%	-	-
	निगम सचिव	8000-13500	50%	50%	-
	निज सचिव	5000-8000	50%	50%	-
	कार्यालय अधीक्षक	5500-9000	-	100%	-
	जनसंपर्क अधिकारी	8000-13500	100%	-	-
	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक वर्ग–1	4500-7000	-	100%	
10	सहायक वर्ग–2 / लेखापाल	4000-6000	50%	50%	-
11	सहायक वर्ग–3 / केशियर / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3050-4590	50%	50%	-
12	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5000-10500	100%	-	-
13	शीघ्रलेखक वर्ग–2	5500-9000	-	100%	-
14	शीघ्रलेखक वर्ग–3	4500-7000	100%	-	-
15	लेखा अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
16	सहायक लेखा अधिकारी	5500-9000	50%	50%	
17	राजस्व अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
18	संपदा अधिकारी	8000-13500	-	50%	50%
19	सहायक राजस्व / संपत्ति कर अधिकारी	5000-8000	-	100%	
20	राजस्व निरीक्षक	4500-7000	50%	50%	
21	राजस्व उप निरीक्षक	3500-5200	50%	50%	
22	सहायक राजस्व निरीक्षक	3050-4590	50%	50%	
23	मुख्य अभियंता	16400-20000	-	50%	50%
24	अधीक्षण अभियंता	12000-16500	-	50%	50%
25	नगर निवेशक	10000-15200	-	-	100%
26	कार्यपालन अभियंता(जल कार्य यांत्रिकी तथा विद्युत)	10000-15200	-	50%	50%

[illegible]	र्यपालन अभियंता(सिविल)	10000-15200	-	50%	50%
[illegible]	ायक अभियंता सिविल, ंत्रिकी तथा विद्युत	8000-13500	-	50%	50%
[illegible]	अभियंता सिविल, यांत्रिकी विद्युत	5000-8000	100%	-	-
[illegible]	चित्रकार	5000-8000	50%	50%	
[illegible]	ायक मानचित्रकार	4000-6000	50%	50%	
[illegible]	यर	4500-7000	100%	-	
[illegible]	ारी	3500-5200	100%	-	
[illegible]	यपाल/कार्य सहायक	3050-4590	100%	-	
[illegible]	र	3050-4590	100%	-	
[illegible]	ेसन	2550-3200	100%	-	
[illegible]	ारपेन्टर	2550-3200	100%	-	
[illegible]	उद्यान अधिकारी/अधीक्षक	8000-13500	50%	50%	
[illegible]	उद्यान निरीक्षक	5000-8000	100%	-	
[illegible]	अग्निशमन अधीक्षक	5500-9000	50%	50%	
[illegible]	फायर आफीसर ग्रेड–1	8000-13500	-	50%	50%
[illegible]	फायर आफीसर ग्रेड–2	5000-8000	-	50%	50%
[illegible]	सहायक फायर ऑफीसर	4500-6000	100%	-	
[illegible]	लिडिंग फायरमेन	4000-6000	-	100%	
[illegible]	फायरमेन ग्रेड–1	3500-5200	-	100%	
[illegible]	फायरमेन ग्रेड–2	3050-4590	100%	-	
[illegible]	इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन	5000-8000	100%	-	
9	वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट	5000-8000	50%	50%	
0	मोटर मैकेनिक ग्रेड–1	4000-6000	-	100%	
[illegible]	मोटर मैकेनिक ग्रेड–2	3050-4590	100%	-	
[illegible]	वेल्डर	2550-3200	100%	-	
[illegible]	क्लीनर	2550-3200	100%	-	
3	ड्रायवर	3050-4590	50%	50%	
4	स्वा.अधिकारी एम.बी.बी.एस.	10000-15200	-	50%	50%
5	स्वा.अधिकारी नॉन एम.बी.बी.एस.	8000-13500	-	100%	
6	सहायक स्वा.अधिकारी	8000-13500	100%	-	
7	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	100%	-	
8	हकीम	8000-13500	100%	-	
9	होम्योपैथिक स्वा. अधिकारी	8000-13500	100%	-	
0	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	6500-10000	-	100%	
1	स्वच्छता निरीक्षक	4500-7000	50%	50%	
2	स्वच्छता पर्यवेक्षक/सफाई दरोगा	3050-4590	50%	50%	

सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	50%	50%	
...मीनेटर	3050-4590	100%	-	
...ाउंडर	3050-4590	100%	-	
...अटेन्डेंट	3050-4590	100%	-	
...वर	3050-4590	100%	-	
...	3050-4590	100%	-	
... टेक्निशियन	3050-4590	100%	-	
...टर रीडर	3050-4590	100%	-	
...टर अटेंडेंट	3050-4590	100%	-	
... ऑपरेटर	3050-4590	100%	-	
...मैन	2550-3200	100%	-	
...तरी	2610-3540	-	100%	
...	2500-3200	100%	-	
चौकीदार	2500-3200	100%	-	
माली	2500-3200	100%	-	
सफाई कामगार	2500-3200	100%	-	
मजदूर	2500-3200	100%	-	
कुक	2500-3200	100%	-	
प्राचार्य	8000-13500	-	100%	
पुस्तकालयाध्यक्ष (लायब्रेरियन)	4000-6000	100%	-	
व्याख्याता	5500-9000	-	100%	
उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक	5000-8000	50%	50%	
सहायक शिक्षक	4000-6000	100%	-	
व्यायाम शिक्षक	5000-8000	100%	-	
उद्योग शिक्षक	5000-8000	100%	-	
प्राथमिक शाला शिक्षक	4000-6000	100%	-	
संगीत शिक्षक	4000-6000	100%	-	
प्रयोगशाला सहायक	3050-4590	100%	-	

अनुसूची – दो
(नियम 6(2) देखिये)
सीधी भर्ती हेतु अर्हता

	पद का नाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं
	(2)	(3)
	उपायुक्त	एम.बी.ए. तथा अर्बन डेव्हलपमेंट में समकक्ष डिग्री।
	विधि अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि। विधि में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विधि अधिकारी के पद पर कार्य का अनुभव।
	जनसंपर्क अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि तथा पत्रकारिता में उपाधि या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) जनसंपर्क अधिकारी या उसके समतुल्य पद पर कार्यानुभव।
	सहायक ग्रेड – 2	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
5	सहायक ग्रेड – 3 /कैशियर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, हिन्दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर/एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण।
7	शीघ्रलेखक वर्ग–3	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
8	राजस्व निरीक्षक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि। एल.एस.जी.डी.कोर्स तथा कॅम्प्यूटर एप्लीकेशन में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
9	राजस्व उप निरीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण।
10	सहायक राजस्व निरीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन मे डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण।
11	सहायक अभियंता	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत में बी.ई. तथा आटोकैड कैम में डिप्लोमा।
12	उप अभियंता (सिविल/यांत्रिकी/विद्युत)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत में डिप्लोमा तथा आटोकैड कैम में डिप्लोमा।
13	मानचित्रकार	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल मानचित्रकार में डिप्लोमा तथा आटोकैड कैम में डिप्लोमा।
14	सहायक मानचित्रकार	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मे डिप्लोमा एवं आटोकैड कैम में डिप्लोमा।
15	सर्वेयर	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सर्वेयर में डिप्लोमा।

...वारी	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से पटवारी का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...पाल/कार्य सहायक	हायर सेकेन्डेरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाने से ट्रेसर में डिप्लोमा उत्तीर्ण।
[illegible]	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेसर का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
[illegible]	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मेसन का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...पेन्टर	आठवी कक्षा उत्तीर्ण।
...न अधिकारी/अधीक्षक	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में डिग्री। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।
...न निरीक्षक	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में डिग्री।
[illegible]	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अग्निशमन कॉलेज से डिग्री उत्तीर्ण।
[illegible]	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं अग्निशमन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...क्ट्रिशियन/वायरमेन	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...र्कशॉप सुपरिटेंडेंट	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था की मैकेनिकल इंजिनियर की पत्रोपाधि (डिप्लोमा)
...टर मैकेनिक ग्रेड-2	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...ल्कर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण- एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर वैल्कर का प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
...इवर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लाईट एवं हैवी मोटर वीकल ड्राईविंग लाईसेंस उत्तीर्ण।
...नर	आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।
...त्सक स्वा.अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.डिग्री।
...र्वेदिक) चिकित्सा ...कारी वैद्य	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. डिग्री।
...कीम	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में डिग्री।
...म्योपैथिक स्वा. अधिकारी	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथ चिकित्सा की उपाधि (डिग्री)।
...च्छता निरीक्षक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. बायोलॉजी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा।
...हायक सांख्यिकी अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा वाणिज्य में डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
...च्छता सर्वेयर/सफाई ...रोगा	विज्ञान विषय के साथ हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण।

विक्सीनेटर	विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
कम्पाउंडर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा कम्पाउंडर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
[illegible] अटेन्डेन्ट	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
प्लंबर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लंबर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
फीटर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फीटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
लैब टेक्निशियन	विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से लैब टेक्निशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
मीटर रीडर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
फिल्टर अटेन्डेन्ट	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
पंप आपरेटर/ड्राईवर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
वाल्वमैन	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
भृत्य	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
चौकीदार/वाचमैन	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
माली/गार्डनर	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा गार्डनिंग प्रमाण पत्र उत्तीर्ण।
सफाई कामगार	कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।
मजदूर	साक्षर होना चाहिये।
कुक	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं रसोई कार्य का तीन वर्षों का अनुभव।
पुस्तकालयाध्यक्ष (लाईब्रेरियन)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाईब्रेरियन डिग्री विज्ञान में।
उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई डिग्री तथा बी.एड. एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
सहायक शिक्षक	हायर सेकेण्डरी एवं बी.टी.आई प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
व्यायाम शिक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक (व्यायाम) प्रशिक्षण के साथ डिग्री।
उद्योग शिक्षक	क्राफ्ट प्रमाण पत्र के साथ डिग्री तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
प्राथमिक शाला शिक्षक	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं बी.टी.आई।
संगीत शिक्षक	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा संगीत में डिप्लोमा।
प्रयोगशाला सहायक	विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण।

✓ (16)

सहायक राजस्व अधिकारी / संपत्ती कर अधिकारी	राजस्व निरीक्षक	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
राजस्व निरीक्षक	राजस्व उप निरीक्षक	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
राजस्व उप निरीक्षक	सहायक राजस्व निरीक्षक (मोहर्रिर)	7 वर्ष का अनुभव तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
सहायक राजस्व निरीक्षक (मोहर्रिर)	दफ्तरी / भृत्य	7 वर्ष का अनुभव तथा हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण।
[illegible] अभियंता	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष का अनुभव
अधीक्षण अभियंता	कार्यपालन अभियंता (जल कार्य / यांत्रिकी / विद्युत)	5 वर्ष का अनुभव
कार्यपालन अभियंता(जल कार्य यांत्रिकी विद्युत)	सहायक अभियंता (जल कार्य / यांत्रिकी / विद्युत)	5 वर्ष का अनुभव
कार्यपालन अभियंता(सिविल)	सहायक अभियंता (सिविल)	5 वर्ष का अनुभव
सहायक अभियंता (सिविल / यांत्रिकी / विद्युत)	उप अभियंता / मानचित्रकार (ड्राफ्टमेन)	सिविल / यांत्रिकी / विद्युत में डिप्लोमा हेतु 12 वर्ष का अनुभव तथा डिग्री होल्डर हेतु 8 वर्ष का अनुभव।
मानचित्रकार (ड्राफ्टमेन)	सहायक मानचित्रकार	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन (सिविल) हेतु 12 वर्ष का अनुभव तथा पॉलीटेक्नीक कॉलेज से सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा हेतु 08 वर्ष का अनुभव।
सहायक मानचित्रकार	ट्रेसर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन (सिविल) हेतु 12 वर्ष का अनुभव तथा पॉलीटेक्नीक कॉलेज से सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा हेतु 08 वर्ष का अनुभव।
उद्यान अधिकारी / उद्यान अधीक्षक	उद्यान निरीक्षक	07 वर्ष का अनुभव।
[redacted]	[redacted]	07 वर्ष का अनुभव।
[redacted]	[redacted]	7 वर्ष का अनुभव।
[redacted]	[redacted]	7 वर्ष का अनुभव।
[illegible] ग्रेड-01	फायरमेन ग्रेड-[illegible]	07 वर्ष का अनुभव।

29	पर्यवेक्षक अभियन्ता	मोटर मैकेनिक ग्रेड–01	07 वर्ष का अनुभव।
30	मोटर मैकेनिक ग्रेड–01	मोटर मैकेनिक ग्रेड–02	07 वर्ष का अनुभव।
31	ड्रायवर	क्लीनर	07 वर्ष का अनुभव।
32	स्वास्थ्य अधिकारी	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)	12 वर्ष का अनुभव।
33	स्वास्थ्य अधिकारी नॉन एम.बी.बी.एस.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष का अनुभव।
34	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता निरीक्षक	12 वर्ष का अनुभव।
35	स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता परिवेक्षक/सफाई दरोगा	14 वर्ष का अनुभव।
36	स्वच्छता [illegible] परिवेक्षक/सफाई दरोगा	पम्पहारी/भृत्य/सफाई कामगार	16 वर्ष का अनुभव।
37	पम्पहारी	भृत्य	10 वर्ष का अनुभव।
38	प्राचार्य	व्याख्याता	10 वर्ष का अनुभव।
39	व्याख्याता	उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक	10 वर्ष का अनुभव।
40	उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक	सहायक शिक्षक	10 वर्ष का अनुभव।

अनुसूची तीन

(नियम 8 (4) तथा 10 (1) देखिये)

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए समिति

(एक) मेयर-इन-काउंसिल की अधिकारिता के अधीन पदों के लिए :-

1.	आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाम निर्देशित एक अधिकारी जो उप-संचालक से निम्न पद श्रेणी का न हो.	सदस्य
4.	आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी	सदस्य सचिव/संयोजक

(दो) आयुक्त की अधिकारिता के अधीन पदों के लिए :-

1.	अपर आयुक्त या उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभाग का, जहाँ पद भरा जाना है, विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	कोई अन्य विभागाध्यक्ष, जिसे आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया जाये.	सदस्य
4.	आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी	सदस्य सचिव/संयोजक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

पी.के. चौहान
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर